

MPHC Stenographer Gr-II, III & AG Gr-III 2026 Exam Pattern / Syllabus

ResultBharat.com

खण्ड—“स”

(क)– परीक्षा की योजना :— परीक्षा दो चरणों में होगी :—

1. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा (100 अंक) एवं
2. हिन्दी शीघ्रलेखन/अंग्रेजी शीघ्रलेखन* की कौशल परीक्षा (100 अंक)।

(*सहायक ग्रेड-III (इंग्लिश नोडिंग) पद चुनने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन की परीक्षा आयोजित की जावेगी)

(ख)– प्रवेश पत्र :—

ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा एवं हिन्दी शीघ्रलेखन/अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा के प्रवेश-पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध कराये जावेंगे जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी। प्रवेश-पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति-आवश्यक है। निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी। परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रावधिक होगी। मात्र प्रवेश-पत्र जारी हो जाने से अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के पक्ष में किसी प्रकार का अधिकार सृजित नहीं होगा।

(ग) ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र :—

1. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन आदि (सभी या आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक) में एक पाली (Shift) अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक पालियों (Shifts) में आयोजित हो सकेगी, परंतु

परीक्षा एक से अधिक पाली में होने की दशा में प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय का, परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उपरोक्त में से किसी भी संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस बाबत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/समय/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(घ) ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

उपरोक्त पदों की ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा संयुक्त होगी जिसमें बहुविकल्पीय (M.C.Q. Type) प्रश्न पूँछे जायेंगे। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंकों की होगी जिसका प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी।

Syllabus	No. of Questions	Marks	Medium
(1) G.K.+G.S., including G.K. of M.P.	20	20	Hindi & English
(2) Maths + Logical Reasoning	20	20	Hindi & English
(3) General Hindi	20	20	Hindi
(4) English knowledge	20	20	English
(5) Computer knowledge	20	20	English
Total Questions and Marks	100		

नोट :-

- उपरोक्त परीक्षा 02 घंटे की होगी।
- परीक्षा की तिथि(यों), समय व परीक्षा केन्द्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।
- दिव्यांग आवेदकों के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ नं. 29-06/2019-डीडी-III दिनांक-10.08.2022 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

Chauhan
6/8/22

(ङ)–परीक्षा हेतु आवश्यक जानकारीयां :-

- (1) अभ्यर्थी को उसे आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा नियत किये गये समय के पश्चात् परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (2) निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन किसी अन्य सत्र में या किसी अन्य दिन होती है, तो भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (3) अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फॉर्म में दिये गये फोटो से होने के बाद अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के दौरान भी अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।
- (4) परीक्षार्थी, परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकॉर्डिंग की जावेगी।
- (5) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखने अथवा अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण रखने/पहनने अथवा अन्य कोई ऐसी सामग्री, जो वीक्षक के दृष्टिकोण से संदिग्ध हो, रखने/धारित करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को तत्काल रद्द किया जा सकेगा।
- (6) परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में दर्शित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।
- (7) नकल प्रकरण/अनुचित साधन के उपयोग से संबंधित मामले में अथवा अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित किया जा सकेगा।

(च)–ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम :-

1. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा में दिये गये प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर, जिनके आधार पर परीक्षाफल तैयार किया जाना आशयित है, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत इस सूचना के साथ प्रदर्शित किये जावेंगे कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों या किसी उत्तर के संबंध में आपत्ति करना चाहता है, तो वह उक्त सूचना प्रकाशन से सात (07) दिनों के भीतर कार्यालयीन समय (प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा),

प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में नाम, आवेदन क्रमांक व वांछित जानकारी भरकर एवं स्रोत दस्तावेज इत्यादि (जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है) की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित छायाप्रति सहित आवश्यक रूप से जमा करेगा। केवल ऑफलाइन आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। ई-मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किये जायेंगे जिनके आधार पर मूल्यांकन कर परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। इसी प्रकार निर्धारित प्रारूप में प्राप्त न होने वाली अथवा स्रोत दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाली आपत्तियों को भी नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि प्रस्तावित आदर्श उत्तरों पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्तावित आदर्श उत्तरों को ही अंतिम मानते हुए तदनुसार मूल्यांकन किया जावेगा।

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् अंतिम मॉडल उत्तर अथवा प्रश्नों के संबंध में किसी भी आधार पर कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. शीघ्रलेखक ग्रेड-II, शीघ्रलेखक ग्रेड- III एवं शीघ्रलेखक ग्रेड- III (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) पद को चुनने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:5 (प्रति पद के लिये लगभग 5 अभ्यर्थी, जिसमें कट-ऑफ अंक के समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, भले ही उनकी संख्या 1:5 के अनुपात से अधिक हो जाये) के अनुपात में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को हिन्दी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा के लिये सफल घोषित किया जावेगा। उक्त पदों की कौशल परीक्षा सामूहिक होगी।
3. इसी प्रकार सहायक ग्रेड- III (इंग्लिश नोईंग) पद को चुनने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:5 (प्रति पद के लिये लगभग 5 अभ्यर्थी, जिसमें कट-ऑफ अंक के समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, भले ही उनकी संख्या 1:5 के अनुपात से अधिक हो जाये) के अनुपात में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा के लिये सफल घोषित किया जावेगा।
4. प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग मात्र होने से इसके प्राप्तांक को अंतिम परिणाम के समय विचार में नहीं लिया जावेगा तथा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।

खण्ड—“द”

हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा

(क)–: आवेदन पत्र एवं दस्तावेज:–

1. हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा हेतु सफल हुए अभ्यर्थियों से निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र व दस्तावेज मंगाये जावेंगे। इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जावेंगे उन्हें अपात्र कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी। पात्र व अपात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।
2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ, अपनी केटेगरी सहित लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन-पत्र भेजा जा रहा है, उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षा अनुभाग द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक आवश्यक रूप से “प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर” के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट अथवा उचित माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन-पत्र व आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति-आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं परंतु वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज (समस्त अथवा कोई भी एक दस्तावेज) संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।

(ख)– हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन कौशल परीक्षा हेतु पोर्टल चार्ज:–

ऐसे अभ्यर्थी जो हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा हेतु सफल पाये जावेंगे, उन्हें कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये ₹ 743.40/- (पोर्टल शुल्क) सेवा प्रदाता को ऑनलाईन देय करना अनिवार्य होगा, जिसके लिये एक वेब लिंक उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु अनिच्छुक माना जावेगा एवं संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त

कर दी जावेगी। भुगतान शुल्क करने संबंधी सावधानियों हेतु कृपया पूर्व लिखित "आवेदन शुल्क" के 'नोट' का अवलोकन करें।

(ग)– हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा की तिथि, केन्द्र व पालियां :-

हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। कौशल परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जावेगी। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस बाबत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि किन्हीं कारणों से कौशल परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तो इसकी सूचना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(घ)– हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा 100 अंको की होगी। कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:-

S.No.	Post	Subject	Marks	Time
1	Stenographer Grade-II, Grade-III & Grade-III (Court Manager staff)	Hindi Stenography dictation of 400 words (approx.) + Transcription/Typing	100	5+30= 35 Min.
2	Assistant Grade-III (English Knowing)	English Stenography dictation of 400 words (approx.) + Transcription/Typing	100	5+30= 35 Min.

नोट :-

- (1) शीघ्रलेखन परीक्षाओं का अनुलेखन (Transcription) कम्प्यूटर में ही करवाया जावेगा। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की-बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपना कम्प्यूटर या की-बोर्ड/कुर्सी लाने की अनुमति नहीं होगी।
- (2) समस्त परीक्षार्थियों को हिन्दी अनुलेखन रेमिंगटन गेल (Remington Gail) में ही करना होगा।
- (3) कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के पहले अभ्यर्थियों को अपने की-बोर्ड की जांच करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि की-बोर्ड में कोई खराबी पाई जाती है तो संबंधित केन्द्र के निरीक्षकों द्वारा बदला लें। कौशल परीक्षा के दौरान/पश्चात् की-बोर्ड में खराबी के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Time
6/11/14

- (4) शीघ्रलेखक ग्रेड-2, शीघ्रलेखक ग्रेड-3, शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) की कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को 5 मिनट में लगभग 400 शब्दों का हिन्दी डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसके अनुलेखन (Transcription) हेतु 30 मिनट का समय पृथक से दिया जायेगा।
- (5) सहायक ग्रेड-3 (English Knowing) की कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को 5 मिनट में लगभग 400 शब्दों का अँग्रेजी डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसके अनुलेखन (Transcription) हेतु 30 मिनट का समय पृथक से दिया जायेगा।
- (6) मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात् अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। कौशल परीक्षाओं में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोट-बुक प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोट-बुक में डिक्टेशन (Long Hand) में लिखे होने पर **संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।**
- (7) डिक्टेशन के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अभ्यर्थियों को डिक्टेशन की आवाज सही व स्पष्ट सुनाई दे रही है, मॉक डिक्टेशन दिया जायेगा। अभ्यर्थियों की संतुष्टि पश्चात् मूल डिक्टेशन दिया जायेगा। मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात् अभ्यर्थी को मौखिक अथवा लिखित आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। उक्त संबंध में परीक्षा पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायत पत्रों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।
- (8) अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उक्त किसी भी पद की कौशल परीक्षा में हिन्दी/अँग्रेजी डिक्टेशन दौरान शोर मचाने/व्यवधान उत्पन्न करने वाले अथवा अनुलेखन/टाईपिंग में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाले अथवा अनावश्यक वाद-विवाद करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जावेगा तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी। साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उन्हें सम्मिलित होने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
- (9) कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रावधिक होगी तथा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन में निर्धारित शर्तों अथवा अपेक्षित योग्यता को पूरा नहीं करता है अथवा उसके प्रमाण-पत्र/पत्रों को फर्जी या कूटरचित पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(ड)– हिन्दी/अँग्रेजी शीघ्रलेखन की कौशल परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन

1. शीघ्रलेखक ग्रेड-2, शीघ्रलेखक ग्रेड-3, शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) एवं सहायक ग्रेड-3 (English Knowing) की कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि (गलत शब्द, वर्तनी/स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने, विराम चिन्हों की त्रुटि, अधिक स्पेस व शब्दों के बीच में स्पेस नहीं दिये जाने पर व अन्य टाईपिंग त्रुटि) पर 1/2 (0.50) अंक काटा जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियाँ पाई जाती है, तो आगे उसकी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए शून्य (00) अंक प्रदान किये जावेंगे।
2. उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकनकर्ता/वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता के द्वारा दिये गये अंक ही अंतिम होंगे और उसके विरुद्ध कोई भी अभ्यावेदन विचार में लाये बिना नस्तीबद्ध कर दिये जावेंगे।

(च):-अंतिम परिणाम :-

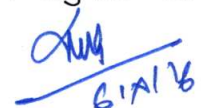
कौशल परीक्षा का अंतिम परिणाम श्रेणीवार मेरिट, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन फार्म में चुने गये पद/पदों व उसकी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखकर तैयार किया जावेगा। सर्वप्रथम सफल अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर शीघ्रलेखक ग्रेड-II का परिणाम तैयार किया जावेगा, शेष सफल अभ्यर्थियों में से शीघ्रलेखक ग्रेड-III का परिणाम तैयार किया जावेगा, तत्पश्चात् शेष सफल अभ्यर्थियों में से शीघ्रलेखक ग्रेड-III (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) का परिणाम तैयार किया जावेगा। इसी प्रकार मेरिट के आधार पर शेष सफल अभ्यर्थियों में से सहायक ग्रेड-III (इंग्लिश नोईग) का परीक्षा परिणाम तैयार किया जावेगा।

सभी पदों की कौशल परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति वर्ग व दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 49.5 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी। अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र0 F6-07/2012/एक(1), भोपाल, दिनांक-14 जुलाई, 2016 के अनुसार मान्य होगी।

टीप:-

1. सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता संबंधित दस्तावेज व पृष्ठभूमि की जांच करने के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है। जांच में असंतुष्ट पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
2. चयन सूची उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाईट पर प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् त्रुटि ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय का परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
3. कौशल परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. कौशल परीक्षा में अंकों की पुनः जांच या टाईपिंग के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के किसी भी चरण में या इसके बाद पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं होगी।


6.11.16